

2026:AHC:57549

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 9509/2026

मुख्तियार

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: मोहम्मद मोहिउद्दीन सिद्दीकी

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: अरुण कुमार पाण्डेय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण कुमार पाण्डेय को सुना गया।
2. दिनांक 20.01.2026 के आदेश के विरुद्ध, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67(5) के अंतर्गत प्रदत्त वैधानिक अपील याची द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष दायर की गई, जिसमें अगली तिथि 25.02.2026 नियत की गई थी। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उक्त अपील के साथ अंतरिम संरक्षण प्रदान किए जाने हेतु एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, किन्तु आज दिनांक तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जिस प्राधिकारी/प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष उपर्युक्त अपील लंबित है, को निर्देशित किया जाए कि वह अपील में याची द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर विधि अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करे।
4. वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2/जिलाधिकारी, संभल, जनपद संभल, अपील में याची द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर यथाशीघ्र, यदि कोई विधिक बाधा न हो तो, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, विधि अनुसार उचित आदेश पारित करें।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

13 मार्च, 2026